



The Jharkhand Public Works Contract Disputes Arbitration Tribunal Act, 2024

Act No. 7 of 2024

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 459 राँची, सोमवार, 24 आषाढ़, 1946 (श०)
15 जुलाई, 2024 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

28 जून, 2024

संख्या-एल0जी0-10/2023-37--लेज0, झारखंड विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-07/06/2024 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम, 2024
(झारखण्ड अधिनियम-07, 2024)

विषय सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषायें ।
3. न्यायाधिकरण की स्थापना और उसका गठन ।
4. न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें ।
5. रिक्त एवं अस्थायी अनुपस्थिति ।
6. न्यायाधिकरण के कर्मचारीवृन्द ।
7. न्यायाधिकरण का मुख्यालय ।
8. यह अधिनियम मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के अतिरिक्त होगा ।
9. न्यायाधिकरण के निर्देश तथा अधिनिर्णय करना ।
10. न्यायाधिकरण की पद्धति और प्रक्रिया ।
11. न्यायाधिकरण को न्यायालय की शक्तियाँ होगी ।
12. न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय का पुनर्विलोकन ।
13. पुनरीक्षण ।
14. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन ।
15. न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी ।
16. न्यायाधिकरण के सदस्य एवं कर्मचारीवृन्द ।
17. परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-4 एवं 12 लागू होना ।
18. कतिपय मामलों में परिसीमन अवधि का विस्तार ।
19. सदभाव पूर्वक की कार्यवाही का संरक्षण ।
20. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति ।
21. नियमावली ।
22. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव ।

झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम, 2024

प्रस्तावना:- ऐसी कार्य संविदाओं, जिसमें राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार का कोई उपक्रम पक्षकार (पार्टी) हो, के अंतर्गत उत्पन्न विवाद या विवादों पर अधिनिर्णय करने तथा उससे जुड़े मामलों पर व्यवस्था देने हेतु न्यायाधिकरण के गठन के लिए विधेयक।

चूंकि, राज्य सरकार, सरकारी कंपनिया तथा स्थानीय निकायों को बड़ी संख्या में विकास एवं अन्य परियोजनाओं का निष्पादन करने की आवश्यकता होती है, और चूंकि, ऐसी परियोजनाए कार्य संविदा करारों के अधीन निष्पादन हेतु तृतीय पक्ष को सौंपी जाती है, और

चूंकि, संविदा के पक्षकारों के बीच अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं, और

चूंकि, ऐसी परियोजनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु विवादों का त्वरित समाधान करना आवश्यक है] भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ- (1) यह अधिनियम झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

(4) परिभाषायें- जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:-

(क) "माध्यस्थम् अधिनियम" से अभिप्रेत है माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996

(ख) "माध्यस्थम् खंड" से अभिप्रेत है कार्य संविदा का वह खंड जिसमें वर्तमान अथवा भविष्य में होने वाले मतभेदों को माध्यस्थम् हेतु सुपुर्द करना निर्दिष्ट हो।

(ग) "पीठ" से अभिप्रेत है न्यायाधिकरण पीठ।

(घ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है न्यायाधिकरण का अध्यक्ष।

(ङ) "विवाद" से अभिप्रेत है कार्य अथवा सेवा अथवा दोनों से संबंधित संविदा के अंतर्गत कार्य का निष्पादन पूर्णतः अथवा अंशतः करने अथवा नहीं करने, जिसमें संविदा विखंडित करना भी शामिल है, से उत्पन्न होने वाले किसी दावे से संबंधित कोई मतभेद,

(च) "सदस्य" से अभिप्रेत है न्यायाधिकरण का सदस्य तथा अध्यक्ष।

(छ) "पक्षकार" (पार्टी) से अभिप्रेत है कार्य संविदा अथवा सेवा संविदा का कोई पक्षकार (पार्टी), जिसमें उसका उत्तराधिकारी अथवा निष्पादन अथवा प्रशासक अथवा मनुदेशिती भी शामिल है,

(ज) "विहित" से अभिप्रेत है धारा-20 के अधीन बनाए गए नियमों के द्वारा विहित।

(झ) लोक उपक्रम से अभिप्रेत है:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-3 में यथा परिभाषित कोई कंपनी जिसमें राज्य सरकार द्वारा धारित समादत्त हिस्सा पूँजी 51% एकावन प्रतिशत से कम हो अथवा कोई कंपनी जो (कंपनी अधिनियम के अर्थान्तर्गत के अंतर्गत) प्रथम उल्लिखित कंपनी समनुषंगी कंपनी हो।
 - (2) कोई निगम (जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा-3 में यथा परिभाषित कोई कंपनी हो) अथवा कोई स्थानीय निकाय जो केंद्रीय या राज्य के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित हो तथा राज्य सरकार के स्वामित्व में हो अथवा उसके द्वारा नियंत्रित हो।
 - (3) वैसे स्थानीय निकाय जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें।
- (ञ) "न्यायाधिकरण" से अभिप्रेत है धारा-3 के अधीन गठित झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण।
- (ट) "कार्य संविदा" से अभिप्रेत है- राज्य सरकार अथवा किसी लोक उपक्रम के द्वारा किसी भवन या सुपर स्ट्रक्चर, बांध, महाबांध, नहर, जलाशय, तालाब, झील, सड़क, सभी प्रकार के पुलों पुलिया, कारखाना या कार्यशालाओं अथवा यथास्थिति राज्य सरकार या लोक उपक्रम के ऐसे अन्य कार्य इस प्रकार के अन्य संरचना, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, मरम्मत अथवा अनुरक्षण हेतु किसी अन्य व्यक्ति के साथ संपन्न संविदा और इसमें शामिल है-
- (i) ऐसे किसी कार्य के निष्पादन से संबंधित सामग्रियों की आपूर्ति के लिए अथवा किसी अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु संविदा चाहे वह किसी विशिष्ट परियोजना या कार्य अथवा किसी प्रकार की परामर्श सेवाओं/सेवा प्रदाताओं के लिए अपेक्षित हो,
 - (ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु परामर्शी सेवा, पर्यवेक्षण, परियोजना परामर्शी, गुणवत्ता सुनिश्चितिकरण, परियोजना प्रबंधन अथवा कोई अन्य प्रबंधकीय सेवाओं सहित, ऐसे किन्हीं कार्यों के निष्पादन से संबंधित सेवाएँ मुहैया कराने के लिए की गयी संविदा,
 - (iii) अधिनियम के अंतर्गत उपयोग में लाये गये ऐसे शब्दों एवं अभिव्यक्तियों जिन्हें इस अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु माध्यस्थम् अधिनियम में परिभाषित हैं वे उनसे व अभिप्रेत होगा जो उनके लिए माध्यस्थम् अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय-2

न्यायाधिकरण का गठन

3. न्यायाधिकरण की स्थापना और उसका गठन- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने हेतु राजपत्र में अधिसूचना द्वारा न्यायाधिकरण स्थापित करेगी, जो झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण कहलायेगी।
- (2) न्यायाधिकरण में अध्यक्ष तथा ऐसी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाए।
- (3) ऐसा कोई व्यक्ति:-
- (क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित नहीं होगा जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न रहा हो अथवा न्यूनतम पांच वर्षों तक प्रधान जिला न्यायाधीश (सुपरटाईम स्केल) न रहा हो।
- (ख) न्यायाधिकरण का सदस्य के रूप में, नियुक्ति के लिए अर्हित होगा जो-
- (i) झारखण्ड सरकार के सचिव स्तर के पदाधिकारी हो अथवा रहे हो।
- (ii) जो अभियंता प्रमुख हो या रहे हो, अथवा जो न्यूनतम दो वर्षों से या तक मुख्य अभियंता हो अथवा रहा हो अथवा अधीक्षण अभियंता के रूप में तीन वर्षों से/तक कार्यरत हो या रहा हो।
4. न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्त:-
- (1) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य का कार्यकाल पदग्रहण की तिथि से चार वर्षों के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो पहले समाप्त होगी वह कार्यकाल मान्य होगा।
- (2) अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा अन्य निबंधन और शर्त तथा भुगतयेय वेतन एवं भत्ते वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए,
- परंतु अध्यक्ष अथवा सदस्य की नियुक्ति किए जाने के बाद उनके वेतन तथा भत्तों अथवा सेवा शर्तों में ऐसा कोई फेर बदल नहीं किया जाएगा जो उनके लिए अलाभकर हो।
- (3) (क) अध्यक्ष अथवा अन्य कोई सदस्य राज्य सरकार को स्वलिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग कर सकते हैं।
- (ख) यदि राज्य सरकार ऐसा उचित समझती है तो न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कार्य अक्षमता, कृत्यों के निर्वहन में शिथिलता, दुर्ब्यवहार, विधि के विरुद्ध आदेश पारित करने, पदधारित करते हुए अन्य लाभकारी नियोजन में रहने के कारण उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए हटाया जा सकेगा।

5. रिक्त एवं अस्थायी अनुपस्थिति- (1) यदि अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य की मृत्यु पदत्याग अथवा नियुक्ति के अवधि अवसान अथवा हटाए जाने अथवा किसी अन्य कारणों से कोई रिक्त होने पर ऐसी रिक्ति की पूर्ति सम्यक अर्हता प्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति कर ली जाएगी।
- (2) यदि कोई किसी सदस्य बीमारी या अन्य अशक्तता के कारण अस्थायी तौर पर अपने कर्तव्यों के संपादन में असमर्थ हो जाए तो राज्य सरकार उनके कर्तव्यों के संपादन हेतु सम्यक अर्हता प्राप्त किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति एक समय में अधिकतम छः माह के लिए कर सकेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उस अवधि में वही शक्ति होगी जो उस व्यक्ति को थी जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति की गयी हो।
- (3) उपधारा (1) या (2) में निर्दिष्ट किसी रिक्ति अथवा अस्थायी अनुपस्थिति के कारण मात्र से न्यायाधिकरण को अविधिमान्य रूप से गठित नहीं माना जाएगा।
6. न्यायाधिकरण के कर्मचारीवृन्द- (1) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से न्यायाधिकरण यथोचित संख्या में पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा।
- (2) न्यायाधिकरण के पदाधिकारियों तथा कर्मियों के वेतन भते तथा अन्य सेवा शर्तें वहीं होगी जो विहित की जाए।
7. न्यायाधिकरण का मुख्यालय- (1) न्यायाधिकरण का मुख्यालय राँची में होगा।
- (2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्यालय से भिन्न ऐसे किसी स्थान या किन्हीं स्थानों न्यायाधिकरण की बैठक की जा सकेगी, जो राज्य सरकार के अनुमोदन से न्यायाधिकरण द्वारा नियत की जाए।

अध्याय-3

न्यायाधिकरण को निर्देश एवं उसकी प्रक्रिया

8. यह अधिनियम माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अतिरिक्त होगा-

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इसका कोई भी उपबंध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अतिरिक्त और अनुपूरक होगा और यदि इसमें अंतर्विष्ट कोई उपबंध माध्यस्थम् अधिनियम का विरोधाभाषी हो तो इस विरोधाभाष की हर तक माध्यस्थम् अधिनियम अभिभावी होगा।

9. न्यायाधिकरण के निर्देश तथा अधिनिर्णय करना- (1) संविदा के पक्षकार के बीच जहाँ कोई विवाद उत्पन्न हो वहाँ, ऐसी संविदा में कोई माध्यस्थम् खंड हो अथवा नहीं, ऐसा विवाद उत्पन्न होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर विवाद का कारण एवं साक्ष्य तथा यथाविहित फीस के साथ कोई भी पक्षकार ऐसे विवाद का लिखित निर्देश, माध्यस्थम् के लिए न्यायाधिकरण को करेगा।
- (2) उपधारा- (1) के अधीन निर्देश (आवेदन) प्राप्त होने पर, यदि यथोचित जांच के बाद न्यायाधिकरण का समाधान हो जाए कि निर्देश से संबंधित इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है तो वह ऐसे निर्देश को स्वीकार कर सकेगा और जहाँ न्यायाधिकरण का समाधान न होता हो वहाँ वह निर्देश को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर सकेगा।
- (3) जहाँ उपधारा (2) के अधीन न्यायाधीकरण निर्देश को स्वीकार करता हो वहाँ यदि आवश्यक हो तो साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात तथा अभिलेख के अवलोकनोपरांत तथा पक्षकारों को अपना तर्क प्रस्तुत करने का अवसर देने के बाद, कारण के साथ अधिनिर्णय अथवा अंतरिम अधिनिर्णय करेगा।
- (4) न्यायाधिकरण सुनवाई हेतु स्वीकार किए गए निर्देश (आवेदन) पर कार्य प्रारंभ करने, कार्यवाही करने और अधिनिर्णय करने में सभी युक्तियुक्त पंचाट घोषित करने में यथासंभव शीघ्रता बरतेगा और यह प्रयत्न करेगा कि निर्देश न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किए जाने की तारीख से 4 माह के भीतर अधिनिर्णय कर दिया जाए।
- (5) न्यायाधीकरण द्वारा किया गया अधिनिर्णय जिसमें अंतरिम अधिनिर्णय भी शामिल है, यदि धारा 12 या 13 के अधीन कोई आदेश किया गया हो तो उसके अध्यक्षीन, अंतिम होगा और विवाद के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।
- (6) धारा-12 अथवा 13 के अधीन किए गए आदेश, यदि कोई हो, द्वारा संतुष्ट या परिवर्तित अधिनिर्णय, जिसमें अंतरिम अधिनिर्णय भी शामिल है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा-2 के अर्थ अंतर्गत मूल अधिकारितावाले उस प्रधान न्यायालय की डिक्री मानी जाएगी जिसकी स्थानीय सीमा में अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय किया गया हो और तदनुसार उसका निष्पादन किया जाएगा।
10. न्यायाधिकरण की पद्धति और प्रक्रिया- (1) न्यायाधीरण राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से अपनी पद्धति और प्रक्रिया, जिसमें पीठों का गठन न्यायाधिकरण या उसकी पीठ द्वारा चलायी जा रही कार्यवाही के निष्पादन इस बात के होते हुए भी उसके दौरान न्यायाधिकरण या पीठ के सदस्य के रूप में बैठने वाला व्यक्ति बदल गया हो, अंतरिम अधिनिर्णय करने, न्यायाधिकरण या उसकी पीठ के समक्ष श्रोता का अधिकार, किसी प्रोसेस फीस की लेवी, लागत संबंधी अधिनिर्णय करने तथा इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रभावी प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन भी शामिल है, के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाई गई नियमावली के संगत विनियम बना सकेगा।

- (2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।
- (3) न्यायाधिकरण के कृत्यों का निर्वहन उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार गठित एक या एक से अधिक पीठों द्वारा किया जा सकेगा।
- (4) किसी मामले विशेष में यदि निर्णय में सदस्यों अथावा पीठों में मतांतर हो, तो निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, यदि बहुमत हो, किंतु यदि सदस्य बराबर-बराबर विभक्त हो, तो वे अपनी मत-भिन्नता के बिंदु या बिंदुओं का उल्लेख करेंगे और मामला न्यायाधीकरण के अध्यक्ष द्वारा एक या न्यायाधिकरण के एक से अधिक सदस्यों को ऐसे बिंदु या बिंदुओं पर सुनवाई के लिए सौंपा जाएगा और तदनुसार उस बिंदु या उन बिंदुओं पर निर्णय सदस्यों के बहुमत के आधार पर जिसमें पहली बार सुनवाई करने वाले सदस्यों का मत भी शामिल होगा, जिया जाएगा।
11. न्यायाधिकरण को न्यायालय की शक्तियाँ होगी- इस अधिनियम के अधीन अपनी अधिकारिता का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ न्यायाधिकरण को वही शक्तियाँ होगी जो निम्नलिखित मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित है, यथा:-
- (क) किसी व्यक्ति को सम्मन करना और उसे हाजिर कराना, तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना,
- (ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना,
- (ग) गवाहों के परीक्षण हेतु कमीशन निर्गत करना।
- (घ) कोई अन्य मामला, जो विहित की जाए,
12. न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय का पुनर्विलोकन- (1) न्यायाधिकरण स्वप्रेरणा से अथवा किसी अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय से व्यथित किसी पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर अपने अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय का पुनर्विलोकन कर सकेगा और इसके संदर्भ में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो उसे न्यायासंगत और उचित लगे:-
- परंतु किसी पक्षकार द्वारा किया गया ऐसा आवेदन तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जबतक कि न्यायाधिकरण का यह समाधान नह हो जाए कि ऐसा कोई नया और महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य उजागर हुआ है जो सम्यक तत्परता बरते जाने के बावजूद ऐसे पक्षकार की जानकारी में नहीं था अथवा ऐसे पक्षकार द्वारा उस समय पेश नहीं किया जा सका जब प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उसके द्वारा अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय किया गया और अभिलिखित किया गया अथवा कोई भूल या त्रुटि रह गयी हो अथवा कोई अन्य पर्याप्त कारण हो:
- परंतु यह भी कि, ऐसे किसी अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय में कोई परिवर्तन या पुनरीक्षण तबतक नहीं किया जाएगा जबतक कि हितबद्ध पक्षकारों को हाजिर होने और ऐसे परिवर्तन या पुनरीक्षण के समर्थन में सुने जाने की नोटिस न दे दी गयी हो।
- (2) अधिनिर्णय अथवा अंतरिम अधिनिर्णय से व्यथित किसी पक्षकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन का आवेदन अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय किए जाने की तारीख से 90 दिनों के भीतर ही किया जाएगा।

13. पुनरीक्षण- (1) उच्च न्यायालय किसी भी समय स्वप्रेरणा से अथवा न्यायाधिकरण अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय या पुनर्विलोकन व्यथित किसी पक्षकार द्वारा अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय या अधिनियम के अधीन पुनर्विलोकन किए जाने की तारीख से 3 माह के भीतर आवेदन किए जाने पर निर्णय या ऐसे किसी मामले का अभिलेख की मांग कर सकेगा और यदि ऐसा प्रतीत हो कि न्यायाधिकरण ने, जिसमें यथास्थिति अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय या पुनर्विलोकन किया गया।

(क) ऐसी किसी अधिकारिता का प्रयोग किया जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है,

(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है, या

(ग) अपनी अधिकारिता का प्रयोग अवैध यप से अथवा तत्यात्मक अनियमितता के साथ किया है तो उच्च न्यायालय समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन पुनर्विलोकन की अपनी शक्तियों के प्रयोग के प्रयोजनार्थ उच्च न्यायालय को वहीं शक्तियां होगी और यह यथासंभव उसी प्रक्रिया का पालन करेगा जो शक्तियां सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा-115 के अधीन उसे हो या जो उस संहिता की धारा 115 के अधीन अपनाई जाती हो, और न्यायाधिकरण इस प्रयोजन हेतु उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय मानी जाएगी।

14. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन- (1) धारा-13 के द्वारा अन्यथा यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी सिविल न्यायालय ऐसे किस प्रश्न पर विचार करने या निर्णय करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसके लिए अधिनियम के द्वारा अथवा उसके अधीन न्यायाधीकरण विचार करने, निर्णय करने के लिए शक्ति प्रदत्त हो। इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुशरण में की गयी या की जानेवाली किसी कार्रवाई के विरुद्ध किए गए अनुरोध पर किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश (इंजक्शन) नहीं किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा किसी अधिनिर्णय या अंतरिम अधिनिर्णय अथवा आदेश अथवा की गयी कार्यवाही पर किसी सिविल न्यायालय द्वारा कोई आपत्ति नहीं की जाएगी।

अध्याय-IV

विविध

15. न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही होगी- न्यायाधिकरण के समक्ष होनेवाली भारतीय दण्ड संहिता की धारा-193 एवं 219 के अर्थ अन्तर्गत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी।

16. न्यायाधिकरण के सदस्य एवं कर्मचारीवृन्द न्यायाधिकरण के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य और पदाधिकारी एवं कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा-21 के अर्थ अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

17. परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-4 एवं 12 का लागू होना- धारा-8 की उपधारा- (1) धारा-11 की उपधारा-(2) एवं धारा-12 की उपधारा-(1) में निर्धारित परिसीमा अवधि की गणना करने में यथासंभव परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-4 एवं 12 के प्रावधान लागू होंगे।
18. कतिपय मामलों में परिसीमन अवधि का विस्तार- न्यायाधिकरण धारा-9 की उपधारा- (2) के अधीन किसी निर्देश को अथवा यथा स्थिति धारा-12 की उपधारा-(1) के अधीन पुनर्विलोकन के अथवा यथा स्थिति धारा-13 उपधारा-(1) के अन्तर्गत पुनरीक्षण के किसी आवेदन धारा-9 उपधारा-(1), धारा-12 की उपधारा-(2) तथा धारा-13 की उपधारा-(1) में निर्धारित परिसीमन अवधि के उपरांत भी सुनवाई हेतु स्वीकार कर सकेगी यदि पक्षकार पुनरीक्षण हेतु आवेदन ऐसी अवधि के भीतर नहीं देने के यथेष्ट कारण थे।
19. सद्भाव पूर्वक की कार्रवाई का संरक्षण- राज्य सरकार/न्यायाधिकरण के अध्यक्ष/अन्य सदस्य/पदाधिकारी/सेवक के द्वारा इस अधिनियम अथवा अधिनियम के अधीन बनाए गए गठित नियम विनियम अथवा आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किये जाने के लिए आशंसित किसी बात के लिए उनके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा कार्रवाई नहीं होगा।
20. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति- (1) इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश के द्वारा ऐसा उपबंध कर सकेगी जो इस कठिनाईयों को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन है और जो अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो।
- (2) इस धारा के अधीन विरचित किया गया हरेक आदेश किये जाने बाद यथा शीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।
21. नियमावली- (1) राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन के शर्त के अध्याधीन राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमावली बना सकती है।
- (2) पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली निम्नलिखित सभी विषयों या किसी के लिए बनायी जा सकती है:-
- (क) धारा-4 की उपधारा-(2) के अधीन एवं अन्य सदस्यों को भुगतये वेतन, और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें,
- (ख) धारा-6 की उपधारा-(2) के अधीन न्यायाधिकरण के पदाधिकारियों व कर्मचारियों को भुगतये वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें,
- (ग) धारा-9 की उपधारा-(1) के अधीन निर्देश के प्रपत्र (फारम) तथा उसके साथ दाखिल किये जाने वाले दस्तावेज और अन्य साक्ष्य एवं फीस,
- (घ) कोई अन्य विषय जिसके संबंध में न्यायाधिकरण धारा-11 के खंड (घ) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी,

- (इ) कोई अन्य विषय जिसे विहित करना हो या जो विहित की जाय।
- (3) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने बाद यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष कम से कम तीस दिनों वाले सत्र में रखा जाएगा एवं राज्य विधानमंडल द्वारा इस सत्र में रखा जाएगा एवं राज्य विधानमंडल द्वारा इस सत्र में जिसमें वे रखे गये हो अथवा ठीक बादवाले विखण्डित या उपान्तरित किये जाने के अध्यक्षीन होंगे।
- (4) राज्य विधानमंडल द्वारा इस प्रकार किया गया कोई विखण्डन/उपान्तरण राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और तदुपरान्त प्रभावी होगा।
22. अधिनियम अध्यारोही प्रभाव- किसी भी अन्य विधि, नियम, आदेश स्कीम या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व अथवा उपरांत किए गए संविदा-करार में अंतर्विष्ट किसी बात के होतं हुए भी इस अधिनियम की धारा-2 (इ) में यथा परिभाषित किसी विवाद, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली और विनियमावली के उपबंधों के अधीन विनियमित किया जाएगा, और किसी भी संविदा में माध्यस्थम-खंड नहीं होना का यह प्रभाव नहीं होगा कि कोई विवाद इस अधिनियम के दायरे से अपवर्जित कर दिया गया है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड सरकार

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

28 जून, 2024

संख्या-एल0जी0-10/2023-38--लेज0 झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-07/06/2024 को अनुमत झारखण्ड लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम, 2024 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2024
(Jharkhand Act, 07, 2024)

Preamble. – An Act to provide for the constitution of a Tribunal to arbitrate in disputes arising from works contracts to which the State Government or a public undertaking is a party and to provide for matters connected there with.

Whereas, Government, Government companies and Local Authorities have to execute large number of development and other projects; and

Whereas, execution of such projects is assigned to third parties under contract agreements; and

Whereas, disputes arise between the parties at times; and

Whereas, in the interest of speedy execution of such projects, it is imperative to provide for expeditious dispute resolution mechanism.

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the seventy fourth year of the Republic of India as follows:

CHAPTER I
Preliminary

1. Short title, extent and commencement. - (1) This Act may be called the Jharkhand Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2024.

(2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.

(3) This Act shall come into force with effect from the date it is published in the Gazette of the State of Jharkhand.

2. Definitions. - In this Act unless the context otherwise requires -

- (a) "*Arbitration Act*" means the Arbitration and Conciliation Act, 1996;
- (b) "*Arbitration Clause*" means a clause in the works contract to submit present or future differences to arbitration;
- (c) "*Bench*" means a bench of the Tribunal;
- (d) "*Chairman*" means the Chairman of the Tribunal;
- (e) "*Dispute*" means any difference relating to any claim arising out of the execution or non-execution of the whole or part of a contract for works or services or both including the rescinding thereof;
- (f) "*Member*" means a member of the Tribunal and includes the Chairman;
- (g) "*Party*" means a party to a works contract or a service contract and includes its successors, executors, administrators or assignees;
- (h) "*prescribed*" means prescribed by rules made under section-20;
- (i) "*public undertaking*" means
- (1) any company as defined in Section 3 of the Companies Act, 1956 in which not less than fifty one percent of the paid up share capital is held by the State Government or any company which is a subsidiary (within the meaning of the Act) of the first mentioned company.
 - (2) Any corporation (not being a company as defined in Section 3 of the Companies Act, 1956) or a local authority established by or under a Central Act or a State Act and owned and/or controlled by the State Government.
 - (3) Such class of local authorities as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify;
- (j) "*Tribunal*" means the Jharkhand Public Works Contract Disputes Arbitration Tribunal constituted under Section 3;
- (k) "*Works contract*" means a contract made by the State Government or a public undertaking with any other person for the execution of any of its works relating to construction, repairs or maintenance of any building or superstructure, dam, weir, canal, reservoir, tank, lake, road, all types of bridge, culvert, factory or work shops or of such other work of the State Government or, as the case may be, of the public undertaking, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify and includes -
- (i) a contract made for the supply of goods relating to the execution of any of such works or for supply of any other goods irrespective of whether it is required for any specific project or work or any type of consultancy services/service providers.
 - (ii) Contracts made for the supply of services relating to the execution of any of such works; including consultancy services for preparation of DPR's; supervision; project advisory, quality assurance, Project Management or any other management services.
 - (iii) Words and expressions used and not defined in this Act, but defined in the Arbitration Act, shall have the meanings assigned to them in the Arbitration Act.

CHAPTER II

Constitution of Tribunal

3. Establishment and constitution of Tribunal. - (1) The State Government shall, by notification in the Official Gazette, establish a Tribunal to be called the Jharkhand Public Works Contract Disputes Arbitration Tribunal, to exercise the jurisdiction, powers and authority concerned on it by or under this Act.

(2) The Tribunal shall consist of Chairman and such number of other members as may be appointed by the State Government.

(3) No person shall be qualified for appointment -

(a) as the Chairman, unless he has been, a Judge of the High Court or a Principal District Judge (Super time Scale) for at least five years,

(b) as a member of the Tribunal, unless he -

(i) is, or has been an officer of Secretary rank to the Government of Jharkhand

(ii) is or has been an Engineer-in-Chief or is or has been a Chief Engineer for at least two years, or is or has been Superintending Engineer for three years.

4. Terms and conditions of service of the Chairman and other members of Tribunal. - [(1) The Chairman and Members of the Tribunal shall hold office for a term of four years from the date on which he assumes the office or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier.]

(2) The salaries and allowances, payable to and other terms and conditions of service of the Chairman and other members shall be such as may be prescribed:

Provided that neither the salary and allowances nor the other terms and conditions of service of the Chairman or other members shall be varied to his disadvantage after his appointment.

(3) (a) The Chairman or other member may, by notice in writing under his hand addressed to the State Government, resign his office.

[(b) The state government may if it thinks so, remove the Chairman or any other Member of the Tribunal (after providing them appropriate opportunity of hearing) for reason of incompetence, laxity in performing the duties, misconduct, passing of order against the law, for engagement in any other paid employment while holding this office.]

5. Vacancy and temporary absence. - (1) If any vacancy occurs by reasons of the death; resignation or expiry of term of appointment, or removal of the Chairman or other member, or for any other cause whatsoever, such vacancy shall be filled in by appointment of a duly qualified person.

(2) If any member becomes, by reason of illness or other infirmity, temporarily incapable of performing the duties of his office, the State Government may appoint some other duly qualified person to discharge his duties for any period not exceeding six months at a time and the person so appointed shall during that period have the same power as the person in whose place he is appointed.

(3) The Tribunal shall not be deemed to be invalidly constituted merely by reason of any vacancy or temporary absence referred to in sub-section (1) or (2).

6. Staff of Tribunal. - (1) The Tribunal may, with the previous approval of the State Government, appoint such number of officers and staffs of the Tribunal as it may think fit.

(2) The salaries and the allowances payable to, and other conditions of, service of, the officers and staffs of the Tribunal shall be such as may be prescribed.

7. Headquarters of Tribunal. - (1) The headquarters of the Tribunal shall be at Ranchi.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Tribunal may sit at such other place or places, other than the place at its headquarters, as the Tribunal may, with the approval of the State Government, appoint.

CHAPTER-III

Reference to and procedure of Tribunal

8. Act to be in addition to Arbitration & Conciliation Act, 1996. - Notwithstanding anything contained in this Act, any of the provisions shall be in addition to and supplemental to Arbitration & Conciliation Act, 1996 and in case any of the provision contained herein is construed to be in conflict with Arbitration Act, then the latter Act shall prevail to the extent of conflict.

9. Reference to Tribunal and making of award. - (1) Where any dispute arises between the parties to the contract, either party shall, irrespective of whether such contract contains an arbitration clause or not, refer, within one year from the date on which the dispute has arisen, such dispute in writing to the Tribunal for arbitration in such form and accompanied by such documents or other evidence and by such fees, as may be prescribed.

(2) On receipt of a reference under sub-section (1), the Tribunal may, if satisfied after such inquiry as it may deem fit to make, that the requirements under this Act in relation to the reference are complied with, admit such reference and where the Tribunal is not so satisfied, it may reject the reference summarily.

(3) Where the Tribunal admits the reference under sub-section (2), it shall, after recording evidence if necessary, and after perusal of the material on record and on affording an opportunity to the parties to submit their arguments, make an award or an interim award, giving its reasons therefore.

(4) The Tribunal shall use all reasonable dispatch in entering on and proceeding with the reference admitted by it and making the award, and an endeavour shall be made to make an award within four months from the date on which the Tribunal had admitted the reference.

(5) The award including the interim award made by the Tribunal shall, subject to an order, if any made under Section-12 or 13, be final and binding on the parties to the dispute.

(6) An award including an interim award as confirmed or varied by an order, if any, made under Section-12 or 13 shall be deemed to be a decree within the meaning of section-2 of the Code of Civil Procedure, 1908 of the principal Court of original jurisdiction within the local limits whereof the award or the interim award has been made and shall be executed accordingly.

10. Practice and procedure of Tribunal. - (1) The Tribunal may, with the previous sanction of the State Government, make regulations consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, for regulating its practice and procedure, including the constitution of Benches, the disposal by the Tribunal or a Bench thereof of any proceedings before it notwithstanding that in the course thereof there has been a change in the person sitting as members of the Tribunal or Bench, making of interim award, the right of audience before the Tribunal or a Bench thereof, the levy of any process fee, the award of costs and generally for the effective exercise of its powers and discharge of its functions under this Act.

(2) The regulations made under sub-section (1) shall be published in the Official Gazette.

(3) The functions of the Tribunal may be discharged by one or more Benches thereof constituted in accordance with the regulations made under sub-section (1).

(4) If the members of the Tribunal or a Bench thereof are divided, the decision shall be the decision of the majority, if there be a majority, but if the members are equally divided they shall state the point or points on which they differ, and the case shall be referred by the Chairman of the Tribunal for hearing on such point or points to one or more of the other members of the Tribunal, and such point or points shall be decided according to the majority of the members of the Tribunal who heard the case including those who first heard it.

11. Tribunal to have powers of Court. - For the purpose of exercising its jurisdiction under this Act, the Tribunal shall have the same powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure 1908 in respect of the following matters, namely: -

- (a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) Requiring the discovery and production of documents;
- (c) Issuing commissions for the examination of witnesses;
- (d) Any other matter which may be prescribed.

12. Review of award of Tribunal. - (1) The Tribunal may, either on its own motion or on the application of any party aggrieved by the award or the interim award, review the award or interim award made by it and pass in reference thereto such order as it thinks just and proper:

Provided that no such application made by any party shall be entertained, unless the Tribunal is satisfied that there has been the discovery of new and important matter or evidence which after the exercise of due diligence was not within the knowledge of such party or could not be produced by such party at the time when evidence on the basis of which award or interim award made was recorded by it or that there has been some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason:

Provided further that, no such award or interim award shall be varied or revised, unless notice has been given to the parties interested to appear and be heard in support of such variation or revision.

(2) An application for review under sub-section (1) by any party aggrieved by the award or interim award shall be made within ninety days from the date of the award or the interim award of the Tribunal.

13. Revision. - (1) The High Court may, *suo-moto* at any time or on an application made to it within three months from the date on which the award or interim award is made or reviewed under this Act, by any party aggrieved by the award or interim award so made or reviewed, call for the record of any case in which an award or interim award has been made or as the case may be reviewed and if the Tribunal appears-

(a) to have exercised a jurisdiction not vested in it by law, or

(b) to have failed to exercise a jurisdiction so vested, or

(c) to have acted in the exercise of its jurisdiction illegally or with material irregularity, the High Court may make such order in the case as it thinks fit.

(2) For the purpose of exercising its powers of revision under this section, the High Court shall have the same powers as it has, and as far as may be, follow the same procedure as it follows, under the Code of Civil Procedure, 1908 while exercising its powers of revision under Section 115 of the Code and for that purpose the Tribunal shall be deemed to be a Court subordinate to it.

14. Bar of jurisdiction of Courts. - (1) Save as otherwise provided by section-13, no Civil Court shall have jurisdiction to deal with or decide any question which the Tribunal is empowered to deal with and decide by or under this Act and no injunction shall be granted by any Civil Court in request of any action taken or to be taken in pursuance of any power by or under this Act.

(2) No award or interim award or order made or proceedings taken under this Act by the Tribunal shall be called in question in any Civil Court.

CHAPTER IV

Miscellaneous

15. Proceedings before Tribunal to be judicial proceedings. - All proceedings before the Tribunal shall be deemed to be judicial proceedings within the meaning of Sections 193 and 219 of the Indian Penal Code.

16. Members and staff of Tribunal to be public servants. - The Chairman and other members and officers and servants of the Tribunal shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code.

17. Application of Sections 4 and 12 of the Limitation Act 1963. - In computing the period of limitation laid down in sub-section (1) of Section 8, and subsection (2) of Section 11 and sub-section (1) of Section 12, the provisions of Sections 4 and 12 of the Limitation Act, 1963, shall, so far as may be, apply.

18. Extension of period of limitation in certain cases. - The Tribunal may admit a reference under sub-section-(2) of Section-9 or entertain an application for review under sub-section-(1) of Section-12 or for revision under sub-section-(1) of Section-13 after the period of limitation laid down in sub-section (1) of Section-9, sub-section-(2) of Section-12 or as the case may be, sub-section-(1) of Section-13 if the party satisfies the Tribunal that the party had sufficient cause for not making the reference, or as the case may be, the application for review or revision within such period.

19. Protection of action taken in good faith. - No suit, prosecution or other proceeding shall lie against the State Government or the Chairman or other member or officer or servant of the Tribunal for anything, which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order or regulation made thereunder.

20. Power to remove difficulties. - (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

21. Rules. - (1) The State Government may, subject to the condition of previous publication, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may be made for all or any of the following matters, namely -

- (a) the salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the Chairman and other members, under sub-section (2) of Section 4;
- (b) the salaries and the allowances payable to, and other conditions of service of, the officers and staffs of the Tribunal under sub-section (2) of Section 6;
- (c) the forms in which reference shall be made and the documents and other evidence and the fees with which it shall be accompanied, under sub-section (1) of Section 9;
- (d) any other matter in respect of which the Tribunal may exercise powers of Civil Court under clause (d) of Section 11;
- (e) any other matter which is to be, or may be, prescribed.
- (3) All rules made under this section shall be laid for not less than thirty days before the State Legislature as soon as may be after, they are made, and shall be subject to rescission or to such modifications as the State Legislature may make during the session in which they are so laid or the session immediately following.
- (4) Any rescission or modification so made by the State Legislature shall be published in the Official Gazette, and shall thereupon take effect.

22. Overriding effect of this Act. - Notwithstanding any thing contained in any other Law, Rule, Order, Scheme, or Contract Agreement entered into before or after commencement of this Act, any dispute as defined in Section 2(e) of this Act shall be regulated under the provisions of this Act, Rules and Regulations framed thereunder, and absence of arbitration clause in any contract agreement shall not have effect of excluding any dispute from the purview of this Act.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
